कार्यालय आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

एल्कोहल अनुभाग

• अनुक्रमणिका

क0 सं0	विभागीय नियमों विधियों / शासनादेश / कार्यालय ज्ञाप संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	1102 / 01.04.1999	उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (दसवां संशोधन) नियमावली, 1999	1–3
2.	64 / 15.01.2004	विशेषतः विकृत स्प्रिट / विकृत स्प्रिट का आयात के सम्बन्ध में	4–5
3.	951 / 24.06.2004	विशेषतः विकृत स्प्रिट / विकृत स्प्रिट के सम्बन्ध में	6
4.	637 / 24.05.2005	उत्तराचंल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005	7–8
5.	1673 / 24.11.2005	उत्तराचंल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005	9–11
6.	647 / 19.05.2006	उत्तराचंल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006	12–13
7.	167 / 08.06.2012	उत्तराखण्ड आबकारी(संशोधन) अधिनियम,2012	14–16
8.	353 / 04.05.2012	उत्तराखण्ड आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012	17–18

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी० 850
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 अप्रैल, 1999
चैत्र 11, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग—3

संख्या 1102 ई-2/13--99-5-95-ई० सी० [illegible]

लखनऊ, 1 अप्रैल, 1999

अधिसूचना

सा० प० नि०—12

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 129/तेरह–204, दिनांक 13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे
कब्जे में रखना (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 1999

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और [illegible] (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 1999 कही जाएगी।

...संशोधित अधिसूचना संख्या 129/तेरह-284, दिनांक 13 मार्च, ... उसे कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली ...

गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

16--पास या अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र (1)--ऐसा व्यक्ति जिसने नियम 9 के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लिया है, थोक दुकान से निर्यात करने की दशा में, तत्पश्चात् आबकारी आयुक्त को, दो प्रतियों में एक प्रार्थना-पत्र देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा :--

(क) परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, और

(ख) निर्यात की जाने वाली विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट, शोधित स्प्रिट, परिशुद्ध अल्कोहल या एबसल्यूट अल्कोहल की मात्रा।

आबकारी आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक सम्बन्धित कलेक्टर को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रार्थना-पत्र के साथ नियम 9 के अधीन प्राप्त अनुज्ञा-पत्र, आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा और एक रसीद होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी ने निर्यात के जिले में स्थित सरकारी कोषागार में विकृत स्प्रिट या विशेष विकृत स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए 50 पैसे (पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा-पत्र शुल्क और परिशुद्ध अल्कोहल, शोधित स्प्रिट और एब्सल्यूट अल्कोहल की ऐसी मात्रा जिसके लिए निर्यात अनुज्ञा-पत्र शुल्क अपेक्षित हो, 2.00 रु० (दो रुपये मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा-पत्र शुल्क जमा कर दिया है।

(2) आबकारी आयुक्त नियम 11 के अधीन पास या अनुज्ञा-पत्र देने के लिए अनुज्ञा देने की दशा में उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कलेक्टर को अग्रसारित करेगा जिसमें थोक दुकान और निर्यात का जिला इंगित करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

16--पास या अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र (1)--ऐसा व्यक्ति जिसने नियम 9 के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लिया है थोक दुकान से निर्यात करने की दशा में, तत्पश्चात् आबकारी आयुक्त को, दो प्रतियों में एक प्रार्थना-पत्र देगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा :--

(क) परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, और

(ख) निर्यात की जाने वाली विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट, शोधित स्प्रिट, परिशुद्ध अल्कोहल या एबसल्यूट अल्कोहल की मात्रा।

आबकारी आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक सम्बन्धित कलेक्टर को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रार्थना-पत्र के साथ नियम 9 के अधीन प्राप्त अनुज्ञा-पत्र, आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा और एक रसीद होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी ने निर्यात के जिले में स्थित सरकारी कोषागार में विकृत स्प्रिट या विशेष विकृत स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए 50 पैसे (पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा-पत्र, शोधित स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए 2.25 रु० (दो रुपये पच्चीस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा-पत्र शुल्क और परिशुद्ध अल्कोहल और एब्सल्यूट अल्कोहल की ऐसी मात्रा के लिए 2.50 रु० (दो रुपये पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा-पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

(2) आबकारी आयुक्त नियम 11 के अधीन पास या अनुज्ञा-पत्र देने के लिए अनुज्ञा देने की दशा में उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कलेक्टर को अग्रसारित करेगा जिसमें थोक दुकान और निर्यात का जिला इंगित करेगा।

आज्ञा से,

प्रमोद चन्द्र शाक्य,

प्रमुख सचिव।

...परिवहन और उसे कब्जे में रखना (संशोधन)

1--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (द्वितीय नियमावली, 1983, अधिसूचना संख्या 816 ई/तेरह-331-83, दिनांक 16 फरवरी, 1983।

2--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983, अधिसूचना संख्या 5917 ई/तेरह-331-83, दिनांक 6 सितम्बर, 1983।

3--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1984, अधिसूचना संख्या 8633 ई/तेरह-593-83, दिनांक 14 दिसम्बर, 1983।

4--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (पंचम संशोधन) नियमावली, 1984, अधिसूचना संख्या 349 ई/तेरह 593-83, दिनांक 1 दिसम्बर, 1984।

5--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (... संशोधन) नियमावली, 1985, अधिसूचना संख्या 1130 ई/तेरह 593-83, दिनांक 22 मार्च, 1985।

6--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (छठां संशोधन) नियमावली, 1985, अधिसूचना संख्या 2879 ई/तेरह-503-83, दिनांक 22 जुलाई, 1985।

7--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (सातवां संशोधन) नियमावली, 1985, अधिसूचना संख्या 3436 ई/तेरह-503-83, दिनांक 1 नवम्बर, 1985।

8--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (आठवां संशोधन) नियमावली, 1986, अधिसूचना संख्या 3436 ई-2/तेरह 503-83, दिनांक 28 अप्रैल, 1986।

9--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (नवां संशोधन) नियमावली, 1986, अधिसूचना संख्या 3091 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 8 अक्टूबर, 1987।

10--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (दसवां संशोधन) नियमावली, 1988, अधिसूचना संख्या 653 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 25 फरवरी, 1988।

11--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1988, अधिसूचना संख्या 3637 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 29 सितम्बर, 1988।

12--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1989, अधिसूचना संख्या 2954 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 8 सितम्बर, 1989।

13--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1989, अधिसूचना संख्या 3402 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 25 अक्टूबर, 1989।

14--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1989, अधिसूचना संख्या 3753 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 23 नवम्बर, 1989।

15--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1991, अधिसूचना संख्या 600 ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 25 मार्च, 1991।

16--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1992, अधिसूचना संख्या 1848 ई/तेरह-92-503-83, दिनांक 23 मार्च, 1992।

17--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1993, अधिसूचना संख्या 813 ई-2/तेरह-93-503-83, दिनांक 6 मार्च, 1993।

18--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 1994, अधिसूचना संख्या 1255 ई-2/तेरह-94-503-83, दिनांक 24 मार्च, 1994।

19--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1996, अधिसूचना संख्या 142 ई-2/तेरह-96-8-95 टी० सी०-III, दिनांक 11 जनवरी, 1996।

20--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (बीसवां संशोधन) नियमावली, 1996, अधिसूचना संख्या-1795 ई-2/तेरह-96-8-95-टी० सी०-III, दिनांक 18 जून, 1996।

21--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1997, अधिसूचना संख्या-1838 ई-2/तेरह-97-8-95-टी० सी०-III, दिनांक 1 जुलाई, 1997।

22--उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 1997, अधिसूचना संख्या 3473 ई/तेरह-97-8-95-टी० सी०-III, दिनांक 5 दिसम्बर, 1997।

3

उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्या— 64/ आब/21/ 2003—04
देहरादून: दिनांक: जनवरी 15, 2004

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1 सन् 1904) की धारा—21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 28 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके (विकृत स्पिरिट का आयात, निर्यात, परिवहन तथा उसे कब्जे मे रखने के नियम) शासकीय अधिसूचना संख्या 129 /तेरह—204, दिनांक मार्च 13, 1931 का अतिक्रमण करके राज्यपाल महोदय निर्देश देते हैं कि तात्कालिक प्रभाव से विशेषत: विकृत स्पिरिट (एस0डी0एस0) / विकृत स्पिरिट (डी0एस0) का उत्तरांचल में आयात किये जाने हेतु उक्त अधिसूचना के नियम—1, 2 एवं 7 को निम्नानुसार स्तम्भ—1 के स्थान पर स्तम्भ—2 में यथा उल्लिखित नियम रख दिया गया है:—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 संशोधित नियम
नियम—1— किसके द्वारा आयात किया जा सकता है— विकृत स्प्रिट भारत के अन्य किसी भी भाग से उत्तर प्रदेश में आयात की जा सकती है—	नियम—1— किसके द्वारा आयात किया जा सकता है— विकृत स्पिरिट या विशिष्टत: विकृत स्पिरिट भारत के अन्य किसी भी भाग से उत्तरांचल में आयात की जा सकती है—
(क) आयात की जाने वाली विकृत स्प्रिट की मात्रा पर एक रुपया दस पैसे प्रति बल्क (आयतन) लीटर की परमिट फीस [illegible] में पूर्व भुगतान करने पर नियम 3 से 5 के अनुसार थोक विक्रय तथा फुटकर विक्रेताओं द्वारा, सिवाय इसके कि अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, तथा अन्य दातव्य तथा शैक्षिक संस्थाओं के मामले में, [illegible] प्रतिहस्ताक्षरित है तो आबकारी आयुक्त [illegible] जायेगी।	(क) आयात की जाने वाली विकृत स्पिरिट या विशेषत: विकृत स्पिरिट की मात्रा पर एक रुपया दस पैसे प्रति बल्क (आयतन) लीटर की परमिट फीस उत्तरांचल में पूर्व भुगतान करने पर नियम 3 से 5 के अनुसार थोक विक्रय तथा फुटकर विक्रेताओं द्वारा एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादन में प्रयोगार्थ, सिवाय इसके कि अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा, अन्य दातव्य और शैक्षिक संस्थाओं के मामले में [illegible] आबकारी आयुक्त द्वारा आयात [illegible] की अनुमति दी गई मात्रा पर कोई परमिट

फीस नहीं की जायेगी।

नियम 2— परमिट के लिए प्रार्थना पत्र— विकृत स्पिरिट के आयात करने के इच्छुक विकृत स्प्रिट का थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता आयात के जिले के कलेक्टर को प्रपत्र वि०म० 26 में आवेदन पत्र परमिट के लिए देगा।

प्रपत्र वि०म० 26 में आवेदन पत्र के साथ आवश्यक परमिट फीस के उत्तर प्रदेश में पूर्व भुगतान के प्रमाण में कोषागार की रसीद लगी होगी और वह निर्दिष्ट करेगा—

(क) स्थान जहां से स्प्रिट आयात की जानी है,
(ख) डिस्टिलरी या फर्म का नाम जिससे स्प्रिट आयात की जानी है,
(ग) स्प्रिट की मात्रा जिसका आयात प्रस्तावित है,
(घ) परिमिट फीस की धनराशि जो कोषागार में जमा की गयी है।

नियम 2— परमिट के लिए प्रार्थना पत्र— विकृत स्पिरिट या विशेषतः विकृत स्पिरिट के आयात करने के इच्छुक विकृत स्पिरिट एवं विशिष्टतः विकृत स्पिरिट का थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या उत्पादक इकाई जो अपनी प्रकिया में विकृत स्पिरिट या विशेषतः विकृत स्पिरिट का प्रयोग करती है, आयात के जिले के कलक्टर को परमिट के लिए प्रपत्र वि०म० 26 में आवेदन करेगा।

प्रपत्र वि०म० 26 में आवेदन पत्र के साथ आवश्यक परमिट फीस के उत्तरांचल में पूर्व भुगतान के प्रमाण में कोषागार की रसीद लगी होगी और वह निर्दिष्ट करेगा—

(क) स्थान जहां से स्पिरिट आयात की जानी है,
(ख) डिस्टिलरी या फर्म का नाम जिससे स्पिरिट आयात की जानी है,
(ग) स्पिरिट की मात्रा जिसका आयात प्रस्तावित है,
(घ) परिमिट फीस की धनराशि जो कोषागार में जमा की गयी है।

नियम—7— उपरलिखित नियम 3, 4 एवं 5 में इंगित प्रकिया प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले विकृत स्प्रिट के आयात को लागू होगा, सिवाय इसके कि चार गैलन (18.186 लिटर्स) से अधिक मात्रा के लिए परिमिट कदापि प्रदान नहीं किया जायेगा।

नियम—7— ऊपरिलिखित, नियम 3, 4 एवं 5 में इंगित प्रकिया प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले विकृत स्पिरिट तथा विशेषतः विकृत स्पिरिट के आयात पर लागू होगी, सिवाय इसके कि अठारह लीटर से अधिक मात्रा के लिए परमिट कदापि प्रदान नहीं किया जायेगा।

ANNEXURE-(3)

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
सं0–951/XXIII/24/21/2004
देहरादून, दिनांक: 24 जून, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 28 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, विकृत स्पिरिट का अयात, निर्यात, परिवहन तथा उसे कब्जे में रखने के नियम सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना सं0 64/आब./21/2003–04, दिनांक 15 जनवरी, 2004 द्वारा किये गये प्राविधानों में एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से आंशिक संशोधन करते हुए विनिर्माण में प्रयोगार्थ आयातित विकृत स्पिरिट या विशेषत: विकृत स्पिरिट की मात्रा पर रू. 1.10 प्रति बल्क (आयतन) लीटर की परमिट फीस को समाप्त करते हुए उत्तरांचल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषत: विकृत स्पिरिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्पिरिट (डी0एस0) बिना किसी परमिट फीस के आयात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– इस प्रकार विशेषत: विकृत स्पिरिट (एस0डी0एस0)/विकृत स्पिरिट (डी0एस0) का उत्तरांचल में आयात किये जाने सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना सं0 64/आब./21/2003–04, दिनांक 15 जनवरी, 2004 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझी जायेगी।

24/6/2004
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
सचिव।

सं0– /XXIII/24/21/2004 तद्दिनांक

उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।
2– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

उप सचिव।

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 24 मई, 2005 ई0

ज्येष्ठ 03, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

आबकारी विभाग

संख्या 637 / XXIII / 2005 / 106 / 2004

देहरादून: 24 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) (उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त) की धारा 40 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 123 / तेरह–2004, दिनांक 13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली का और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2005

1–(1) यह नियमावली उत्तरांचल विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (प्रथम संशोधन), नियमावली 2005, कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी और प्रवर्तन के दिनांक से छः माह के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी।

2–समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 123 / तेरह–2004, दिनांक 13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखने सम्बन्धित नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :– — नियम 10 का विकृत संशोधन

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
10 पास या अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (1) ऐसा व्यक्ति जिसने नियम 9 के अधीन अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर लिया है, थोक दुकान से निर्यात करने की दशा में, तत्पश्चात् आबकारी आयुक्त को, दो प्रतियों में एक प्रार्थना–पत्र देगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा :–	10 पास या अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (1) ऐसा व्यक्ति जिसने नियम 9 के अधीन अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर लिया है, थोक दुकान से निर्यात करने की दशा में, तत्पश्चात् आबकारी आयुक्त को, दो प्रतियों में एक प्रार्थना–पत्र देगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा :–
(क) परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, और	(क) परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, और
(ख) निर्यात की जाने वाली विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट, शोधित स्प्रिट, परिशुद्ध अल्कोहल या एक्स्ट्रान्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा।	(ख) निर्यात की जाने वाली विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट, शोधित स्प्रिट, परिशुद्ध अल्कोहल या एक्स्ट्रान्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा।
आबकारी आयुक्त से अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक सम्बन्धित कलेक्टर को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रार्थना–पत्र के साथ नियम 9 के अधीन प्राप्त अनुज्ञा–पत्र, आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा और एक रसीद होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी ने निर्यात के जिले में स्थित सरकारी कोषागार में विकृत स्प्रिट या विशेष विकृत स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए 50 पैसे (पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा–पत्र शोधित स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए रु0 2.25 (दो रुपये पच्चीस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा–पत्र शुल्क और परिशुद्ध अल्कोहल और एक्स्ट्रान्यूट्रल अल्कोहल की ऐसी मात्रा के लिए रु0 2.50 (दो रुपये पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा–पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।	आबकारी आयुक्त से अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक सम्बन्धित कलेक्टर को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रार्थना–पत्र के साथ नियम 9 के अधीन प्राप्त अनुज्ञा–पत्र, आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा और एक रसीद होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी ने निर्यात के जिले में स्थित सरकारी कोषागार में विकृत स्प्रिट या विशेष विकृत स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए 50 पैसे (पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा–पत्र शोधित स्प्रिट और एक्स्ट्रान्यूट्रल अल्कोहल की ऐसी मात्रा के लिए रु0 1.00 (एक रुपया मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा–पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।
(2) आबकारी आयुक्त नियम 11 के अधीन पास या अनुज्ञा–पत्र देने के लिए अनुज्ञा देने की दशा में उक्त प्रार्थना–पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कलेक्टर को अग्रसारित करेगा जिसमें थोक दुकान और निर्यात का जिला इंगित करेगा।	(2) आबकारी आयुक्त नियम 11 के अधीन पास या अनुज्ञा–पत्र देने के लिए अनुज्ञा देने की दशा में उक्त प्रार्थना–पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कलेक्टर को अग्रसारित करेगा जिसमें थोक दुकान और निर्यात का जिला इंगित करेगा।

आज्ञा से,

बी0 सी0 चन्दोला,
सचिव, आबकारी।

...(आर0ई0) 04 आबकारी / 193–2005–85 / 200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

संख्या– 1673 /XXIII/ 2005/106/2004
देहरादून दिनांक 24 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल, संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्राप्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) (उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त) की धारा 40 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय– समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या– 123/ तेरह– 2004, दिनांक 13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली का और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (द्वितीय संशोधन) नियामवली, 2005

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1–(1) यह नियामवली उत्तरांचल विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (द्वितीय संशोधन) नियामवली, 2005 कही जायेगी।
नियम 1(2) का संशोधन	(2) उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना नियामवली के नियम–1 के उपनियम (2) में शब्द " प्रवर्तन के दिनांक से छः माह के लिए " के स्थान पर शब्द " प्रवर्तन के दिनांक से 31 मार्च, 2006 तक के लिए" रख दिया जायेगा।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव, आबकारी।

संख्या– 1673 (1)/ XXIII/ 2005 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस

पेज– 2/–

आशय से प्रेषित इस अधिसूचना का असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-- सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 200 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तरांचल शासन, सुभाष रोड, देहरादून को भी उपलब्ध करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या-1673 (1)/ XXIII/ 2005तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- मण्डलायुक्त, कुमाऊं/ गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/ पौड़ी।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल
6- वित्त अनुभाग-1
7- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

21

क्रम संख्या–149

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 नवम्बर, 2005 ई0

अग्रहायण 03, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 1673/XXIII/2005/106/2004

देहरादून, 24 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

सा0प0नि0–12

राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) (उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 123/तेरह–2004, दिनांक 13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली का और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005

1\. (1) यह नियमावली उत्तरांचल विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(2) उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना नियमावली के नियम–1 के उपनियम (2) में शब्द "प्रवर्तन के दिनांक से छः माह के लिए" के स्थान पर शब्द "प्रवर्तन के दिनांक से 31 मार्च, 2006 तक के लिए" रख दिया जायेगा। — नियम 1 (2) का संशोधन

आज्ञा से,

नवीन चन्द्र शर्मा

(SL-19)

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 657/XXIII /2006/106/ 2004
देहरादून : दिनांक : 19 मई, 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, संयुक्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्राप्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्याः 123/तेरह–2004, दिनांकः 13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली का और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

2. नियम 1 (2) का संशोधन

(2) उत्तरांचल आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना नियमावली के नियम –1 के उप नियम (2) में शब्द " **प्रवर्तन के दिनांक से 31 मार्च, 2006 तक के लिए**" के स्थान पर शब्द " **प्रवर्तन के दिनांक से 31 मार्च, 2007 तक के लिए**" रख दिया जायेगा।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

––– क्रमशः 2 पर –––

O/c

संख्याः 647/XXIII /2006/106/ 2004 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद-हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांकः 19.05.2006 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 (क) के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 200 प्रतियाँ सचिव आबकारी, उत्तरांचल शासन, 4- सुभाष रोड, देहरादून को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(जी० बी० ओली)
संयुक्त सचिव।

O/C

संख्याः 647/XXIII /2006/106/ 2004 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त गढवाल/ कुमॉयू, पौड़ी/ नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. वित्त अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी० बी० ओली)
संयुक्त सचिव।

O/C

क्रम संख्या–106

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 167/XXXVI(3)/2012/23(1)/2012

देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012" पर दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2012}

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य म यथाप्रवृत्त) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 40 का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 40 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा :–

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (23 वां संशोधन) नियमावली, 1999 के साथ प्रकाशित अधिसूचना संख्या 129/13–204, दिनाँक 13 मार्च, 1931 को दिनाँक 01 अप्रैल, 2007 से सदैव लागू समझा जायगा।"

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 167/XXXVI(3)/2012/23(1)/2012
Dated Dehradun, June 08, 2012

NOTIFICATION

Misscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Excise (Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 03 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.

THE UTTARAKHAND EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2012

An
Act

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 04 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand).

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows :-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Excise (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 40 2. After sub-section (1) of section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 04 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand), a proviso shall be inserted as follows:-

"Provided further that the rule tenure Uttar Pradesh Excise Export, Import and Kept in possession of Rectified Sprit (23rd Amendment) Rules, 1999 published with notification No. 129/13-2004 dated 13 March, 1931 be deemed to and always to have been in force from 01 April, 2007 to the context of the State of Uttarakhand."

By Order,

D.P. Gairola,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 विधायी/313–2012–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

24 भोवा 1662 (उ०)
(signature) 4/5/2012
उप आबकारी आयुक्त
(ई0आई0बी0)
मुख्यालय, देहरादून

70
4-5-2012

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी विभाग

संख्याः 353 /XXIII/2012/106/2004

देहरादूनः दिनॉकः 04 मई, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4, सन् 1910) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या–123/तेरह–2004, दिनांक–13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली का और संशोधन करने की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य में किये गये समस्त संशोधनों को अवक्रमिक करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1–(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड विक्रत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चतुर्थ संशोधन)नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक– 01.04.2007 से प्रवृत्त होगी।

नियम–10 का संशोधन (2)– समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–123/तेरह–2004, दिनांक–13 मार्च, 1931 के साथ प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जे में रखने से सम्बन्धित नियमावली में नियम 9 के बाद तथा नियम 11 के पूर्व नियम–10 निम्नानुसार रख दिया जायेगा :–

<u>नियम 10:–</u> पास या अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (1) ऐसा व्यक्ति जिसने नियम 9 के अधीन अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर लिया है, थोक दुकान से निर्यात करने की दशा में, तत्पश्चात् आबकारी आयुक्त को, दो प्रतियों में एक प्रार्थना–पत्र देगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा :–

(क) परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, और

(ख) निर्यात की जाने वाली विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट, शोधित स्प्रिट, परिशुद्ध अल्कोहल या एक्स्ट्रान्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा।

आबकारी आयुक्त से अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक सम्बन्धित कलेक्टर को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रार्थना–पत्र के साथ नियम 9 के अधीन प्राप्त अनुज्ञा–पत्र, आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा और एक रसीद होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी ने निर्यात के जिले में स्थित सरकारी कोषागार में विकृत स्प्रिट या विशेष विकृत स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए 50 पैसे (पचास पैसे) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञा पत्र शोधित स्प्रिट की ऐसी मात्रा के लिए रू02.25(दो रूपये पच्चीस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर की दर से संगणित अनुज्ञापत्र शुल्क और परिशुद्ध